आचार्य नरेंद्र देव कृषि एव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज तथा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के बीच स्मार्ट फार्मिग टेक्नोलॉजी के विस्तार व प्रसार के क्षेत्र में एक साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्य करने के लिए दो पक्षी करार हुआ है।

इस समझौते के तहत कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज तथा गोरखपुर ड्रोन एंड सेंसर उपकरणों का तकनीकी उपयोग कृषि भूमि व क्षेत्र पर एक साथ अपनी-अपनी तकनीकी के माध्यम से करेंगे। इससे किसानों की कृषि बागवानी, मृदा स्वास्थ्य, क्राफ्ट मॉनिटरिंग, स्वस्थ फसल के साथ पशुधन के स्वास्थ्य प्रबंधन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर उनके समाधान के लिए आवश्यक तकनीकी और ज्ञान मुहैया कराएंगे। साथ ही सरकार व नीति निर्धारकों तक इसके विषय में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे इससे सरकार संबंधित क्षेत्र की समस्याओं के लिए अपने स्तर से भी निर्णय ले सके।

इस संबंध में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज तथा मदन मोहन मालवीय की विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीच दो पछिये समझौता किया गया। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय गोरखपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था इसके मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ बिजेंद्र सिंह रहे कार्यक्रम में दोनों पक्षों के बीच विचार विमर्श के बाद कुलपति ने प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के निर्देशक प्रसार प्रो0 एपी राव तथा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शोध एवं सलाहुकार प्रो0 संजय कुमार सोनी ने अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध के तहत ड्रोन के कृषि में व्यापक उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। इसके तहत ड्रोन कैमरे के माध्यम से खेती किसानी के आंकड़ों को एकत्र करना, आंकड़ों के आधार पर ड्रोन के माध्यम से कृषि रसायनों के छिड़काव, योगिकी स्वास्थ्य, कीट रक्षा का ड्रोन के माध्यम से वितरण जैसे जरूरी कार्य ग्रामीणांचल में किए जा सकेंगे । इस अनुबंध में ऐसे सेंसर विकसित किए जाएंगे जिनके माध्यम से मृदा स्वास्थ्य की स्थिति, मृदा के तापमान की स्थिति तथा मृदा के पीएच मान की स्थिति का पता लगाया जायेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 बिजेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों विश्वविद्यालयों के बीच हुये इस महत्वपूर्ण अनुबंध के बाद इसका सकारात्मक प्रभाव पूर्वांचल के कृषि विकास पर पड़ेगा । किसान नवीन तकनीकी अपनाकर अपनी उपज कम लागत में दोगुना कर सकेंगे। किसानों को नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा।

ड्रोन के फायदे:

मानव रहित हवाई वाहन कम तनावपूर्ण वातावरण प्रदान करता है और लंबे समय के रूप में उड़ सकते है इसे उड़ाने के लिए योग्य पायलट की कोई आवश्यकता नहीं है, यूएवी 25 घंटे तक हवा में रह सकता है, इसे कंप्यूटर से नियंत्रण के तहत हवा में उड़ाया जा सकता है । यूएवी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करता है, यह क्षेत्र के दृश्यों या थर्मल इमेजिंग का कार्य करता है ड्रोन पायलट या ऑपरेटर आसानी से बिना किसी परिचालन के ड्रोन के नियंत्रण को हाथ लगा सकते हैं, ड्रोन में अधिक दूरी से अधिक पिन पॉइंट सटीकता हो सकती है।

भारत में ड्रोन कानून:

भारत में ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति है लेकिन देश में उड़ान भरते समय कई ड्रोन कानूनों का पालन करने की जरूरत है । ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पालन करें भारत में 250 ग्राम से अधिक वजन वाले ड्रोन को उड़ाते समय ड्रोन कानूनों का पालन करें:-

- घनी आबादी वाले क्षेत्रों या बड़ी भीड़ पर अपने ड्रोन को न उड़ाएं।
- दूसरों की गोपनीयता का सम्मान करें ।
- हवाई अड्डों के 5 किलोमीटर के भीतर या उन क्षेत्रों में अपने ड्रोन को न उड़ाएं जहां विमानों का संचालन हो रहा है।
- आप दिन के उजाले घंटे के दौरान उड़ान भरने और केवल अच्छे मौसम में उड़ान भरने चाहिए।
- सरकार या सेना सहित संवेदनशील क्षेत्रों में अपने ड्रोन को नहीं उड़ाना है।
- इन इलाकों में ड्रोन या कैमरा ड्रोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है।
- कम से कम 18 साल की उम्र और एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लिया होना चाहिए है।
- एक लाइसेंस प्लेट के साथ ऑपरेटर की पहचान और उनसे कैसे संपर्क करें सभी ड्रोन सुसज्जित होना चाहिए।
- आपको केवल दृष्टि की दृश्य रेखा के भीतर अपने ड्रोन को उड़ना होगा।
- आप एक समय में एक से अधिक यूएव से उड़ान नहीं भर सकते हैं।
- एक सीमा के 5 किलोमीटर के भीतर अपने ड्रोन उड़ान भर सकते हैं।
- समुद्र तट से 500 मीटर से अधिक अपने ड्रोन को नहीं उड़ना है।
- दिल्ली में विजय चौक का 5 किलोमीटर भीतर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं।
- राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभयारण्यों के ऊपर उड़ान न भरें।
- सभी ड्रोन में लायबिलिटी इंश्योरेंस होना जरूरी है।